

भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-1 खंड-1 में प्रकाशनार्थ

फा. संख्या 06/15/2023-डीजीटीआर

भारत सरकार,

वाणिज्य विभाग

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

मामला संख्या: ए डी (ओआई) -14/2023

जांच शुरूआत अधिसूचना

दिनांक: 26 सितंबर, 2023

विषय: कोरिया गणराज्य, थाइलैंड, और चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "एपीक्लोरोहाइड्रीन" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

1. समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" अथवा एडी नियमावली" भी कहा गया है) के अनुसार मेघमनी फाइनेकेम लिमिटेड (जिसे आगे आवेदक भी कहा गया है) ने कोरिया गणराज्य, थाइलैंड, और चीन जन. गण. (जिन्हें आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "एपीक्लोरोहाइड्रीन" (जिसे यहां आगे "संबद्ध वस्तु" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" या "ईसीएच" भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है ।
2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की स्थापना वास्तविक रूप से बाधित हुई और घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है । तदनुसार आवेदक ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है ।

क. विचाराधीन उत्पाद

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद एपीक्लोरोहाइड्रीन, संक्षिप्त रूप में ईसीएच है । इस उत्पाद, जिसे सीमाशुल्क वर्गीकरण में भी प्रयुक्त किया गया है, का रासायनिक नाम 1-क्लोरो-2,3- एक्पोक्सीप्रोपेन है । इसका रसायन फार्मूला C_3H_5ClO है ।
4. यह एक तीखी लहसुन जैसी महक वाला रंगहीन तरल है जो जल में मामूली रूप से विलेय है, जिसे आम तौर पर 99 प्रतिशत से अधिक की शुद्धता के साथ उत्पादित किया जाता है । इसका अधिकांशतः एपोक्सीरेजिन बनाने में प्रयोग होता है जो इसकी खपत का लगभग 80 प्रतिशत बनता है । इसे भेषज एपीआई, जल उपचार, कागज रसायन, सिंथेटिक रबड़, सर्फैक्टेंट, अधेसिव, इलेस्टोमर्स, प्लास्टिक तथा रबड़ और कांगज में मजबूतीवर्धक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है । इस उत्पाद को प्रोपीलीन तथा ग्लाइसीरीन प्रयोगद्वारा उत्पादित किया जा सकता है ।
5. विचाराधीन उत्पाद को पारंपरिक रूप से प्रोपीलीन के प्रयोग द्वारा उत्पादित किया जाता है जहां एलाइन क्लोराइड के उत्पादन हेतु उच्च तापमान पर प्रोपीलीन का क्लोरीनेशन होता है । एलाइल क्लोराइड पृथक होने और एलाइल क्लोराइड के हाइड्रोक्लोरीनेशन के बाद भी डीक्लोरोहाइडाइन उत्पादित होता है और एलीक्लोराइड प्राप्त होता है डीक्लोरोहाइडाइन ईसीएच के उत्पादन हेतु साबुनीकरण से गुजरती है जिसे बाद में शुद्धीकृत किया जाता है । तथापि, इस उत्पाद प्रक्रिया से अत्यधिक अपशिष्ट उत्पन्न होता है और इस प्रकार निपटान हेतु उच्च पूंजीगत व्यय अपेक्षित है । इन चुनौतियों से निपटने के लिए अब ईसीएच को जैव आधारित ग्लाइसीरीन के प्रयोग से उत्पादित किया जा रहा है जो एक पर्यावरण अनुकूल उत्पादन प्रक्रिया है ।
6. संबद्ध वस्तु को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 29 के शीर्ष 2910 के उपशीर्ष 2910 30 00 के तहत वर्गीकृत किया जाता है । सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

ख. समान वस्तु

7. आवेदक ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देशों से निर्यातित वस्तु में कोई ज्ञात खास अंतर नहीं है । यद्यपि आवेदक ने जैव आधारित ग्लाइसीरीन पद्धति से संबद्ध वस्तु उत्पादित की है । तथापि, इस उत्पाद को प्रोपीलीन के प्रयोग द्वारा भी उत्पादित किया जा सकता है । आवेदक ने बताया है कि प्रोपीलीन के प्रयोग से विनिर्मित और ग्लाइसीरीन के प्रयोग से उत्पादित उत्पाद में कोई अंतर, यदि

कोई हो, नहीं है। दोनों पद्धतियों के प्रयोग से उत्पादित ईसीएच में समान तकनीकी और भौतिक विशेषताएं, अनुप्रयोग, कीमत निर्धारण और उपभोक्ता होते हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु संबद्ध देशों से आयातित वस्तु से तकनीकी विनिर्देशनों, कार्य और प्रयोग, कीमत निर्धारण वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। आवेदक ने दावा किया है कि ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। अतः प्रस्तावित जांच के प्रयोजनार्थ आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां निर्यातित संबद्ध वस्तु के "समान वस्तु" के रूप में माना जा रहा है।

ग. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

8. यह आवेदन मेघमनी फाइनकैम लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक देश में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है जिसने जून, 2022 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है।
9. आवेदक ने बताया है कि उसने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है और यह कि वह संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक या भारत में संबद्ध वस्तु के आयातक से संबंधित नहीं है।
10. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मेघमनी फाइनकैम लिमिटेड भारत में समान वस्तु का एकमात्र उत्पादक है। आवेदक का भारत में कुल घरेलू उत्पादन में प्रमुख हिस्सा बनता है। उक्त के मद्देनजर और आवश्क जांच के बाद प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक नियम नियम 2(ख) के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग है और आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

घ. सामान्य मूल्य

कोरिया गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य

11. आवेदक ने दावा किया है कि उसे कोरिया गणराज्य में घरेलू बिक्री कीमत का कोई साक्ष्य नहीं मिल पाया है। अतः आवेदक ने कोरिया गणराज्य से किसी उचित तीसरे देश अर्थात् जापान को निर्यात की कीमत को सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु ट्रेड मैप आंकड़ों के जरिए प्राप्त किया है, यह विचार करते हुए कि जापान को निर्यातों की उस

मात्रा को दर्शाती है जो भारत को निर्यातों से तुलनीय हो। ट्रेड मैप से ली गई एफओबी कीमत को कारखाना द्वार सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए पत्तन व्यय, अंतरदेशीय भाड़ा, कमीशन और बैंक प्रभारों के लिए समायोजित किया गया है। कोरिया गणराज्य के लिए दावा किए गए सामान्य मूल्य के पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं।

थाइलैंड के लिए सामान्य मूल्य

12. आवेदक ने दावा किया है कि उसे थाइलैंड में घरेलू बिक्री कीमत का कोई साक्ष्य नहीं मिल पाया है। अतः आवेदक ने थाइलैंड से किसी उचित तीसरे देश अर्थात् कोरिया गणराज्य को निर्यात की कीमत को सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु ट्रेड मैप आंकड़ों के जरिए प्राप्त किया है, यह विचार करते हुए कि कोरिया गणराज्य को निर्यात की मात्रा उस मात्रा को दर्शाती है जो भारत को निर्यातों से तुलनीय है। ट्रेड मैप से ली गई एफओबी कीमत को कारखाना द्वार सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए पत्तन व्यय, अंतरदेशीय भाड़ा, कमीशन और बैंक प्रभारों के लिए समायोजित किया गया है। थाइलैंड के लिए दावा किए गए सामान्य मूल्य के पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं।

चीन पीआर के लिए सामान्य मूल्य

13. आवेदक ने चीन के परिग्रहण प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(ए)(i) का हवाला दिया है और उस पर भरोसा किया है। आवेदक ने दावा किया है कि चीन पीआर में उत्पादकों को यह प्रदर्शित करने के लिए कहा जाना चाहिए कि विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में नियमों के अनुबंध। के पैरा 8 (3) के संदर्भ में विषय वस्तु का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति मौजूद है। विचाराधीन उत्पाद का आवेदक द्वारा यह कहा गया है कि यदि उत्तर देने वाले चीनी उत्पादक यह प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं हैं कि उनकी लागत और मूल्य की जानकारी बाजार-संचालित है, तो सामान्य मूल्य की गणना अनुबंध। के पैरा 7 और 8 के प्रावधानों के अनुसार की जानी चाहिए। नियम।
14. आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि किसी तीसरे देश की बाजार अर्थव्यवस्था में लागत या कीमत से संबंधित डेटा या अन्य वैकल्पिक तरीकों का सहारा इस स्तर पर उपलब्ध नहीं है। आवेदक ने बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और मुनाफे में उचित वृद्धि के साथ उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार भारत में उत्पादन लागत के सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्माण किया है।

ड. निर्यात कीमत

15. संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों में यथासूचित संबद्ध वस्तु की सीआईएफ कीमत स्वीकार करते हुए निर्धारित की गई है। कारखाना द्वार निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतरदेशीय पत्तन व्यय, अंतरदेशीय भाड़ा और बैंक प्रभारों के लिए कीमत समायोजन किए गए हैं। संबद्ध देशों के लिए दावा की गई निर्यात कीमत के पर्याप्त साक्ष्य हैं।

च. पाटन मार्जिन

16. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की कारखाना द्वार स्तर पर तुलना की गई है। प्राधिकारी ने तिमाही आधार पर सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना की है। इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कारखाना द्वार निर्यात कीमत से काफी अधिक है जो प्रथम दृष्टया दर्शाता है कि संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है और पाटन मार्जिन जांच की शुरुआत को उचित ठहराने के लिए न्यूनतम सीमा से अधिक है।

छ. क्षति तथा कारणात्मक संबंध

17. आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर घरेलू उद्योग को क्षति के आकलन के लिए विचार किया गया है। आवेदक ने यह सिद्ध करते हुए प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं कि आयातों ने भारत में घरेलू उद्योग की स्थापना के वास्तविक रूप से बाधित किया है। आवेदक ने दावा किया है कि आयातों की मात्रा में घरेलू उद्योग के उत्पादन शुरू करने के बावजूद भारी वृद्धि हुई है जबकि कीमतें कच्ची सामग्री की लागत से भी कम हो गई हैं। यह भी दावा किया गया है कि आयातों के कारण घरेलू उद्योग की वास्तविक और अनुमानित कीमत में कटौती हो रही है और घरेलू कीमतों में भारी गिरावट से घरेलू कीमतों में हास और न्यूनीकरण हुआ है। आवेदक ने विशेष ध्यान दिलाया है कि वे काफी कम कीमत पर आयातों के कारण अपनी अनुमानित कीमत वसूलने में असमर्थ रहे हैं। इससे कम क्षमता उपयोग उत्पादन और बिक्रियों के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा है जो अनुमानित स्तर से काफी कम है क्योंकि आयातों ने घरेलू उद्योग को उनकी 50 प्रतिशत प्रचालन अवधि में उत्पादन बंद करने के लिए बाध्य कर दिया है। आधे से अधिक बाजार हिस्से की मांग पूरी करने की क्षमता

के बावजूद घरेलू उद्योग केवल 10 प्रतिशत से कम मांग पूरी कर रहा है जिसके परिणामस्वरूप काफी मालसूची एकत्रित हो गई है। आवेदकों ने दावा किया है कि वे अपनी परिवर्तनशील लागतों की भी वसूली करने में असमर्थ हैं और उन्हें भारी घाटा, नकद घाटा और नियोजित पूंजी पर ऋणात्मक आय का सामना करना पड़ा है। संबद्ध देशों से पाटित आयातों द्वारा वास्तविक मंदी के रूप में घरेलू उद्योग को हुई क्षति के पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं जो पाटनरोधी जांच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराते हैं।

ज. पाटनरोधी जांच की शुरुआत

18. घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और ऐसी कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद तथा नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार, प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में किसी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव को निर्धारित करने तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, जांच की शुरुआत करते हैं।

झ. संबद्ध देश

19. आवेदक ने चीन जनवादी गणराज्य, ताइवान, कोरिया गणराज्य तथा थाइलैंड किंगडम से आयातों संबंधी पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने का अनुरोध किया था। हालाँकि, प्राधिकरण ने निर्धारित किया है कि ताइवान से होने वाले या निर्यात किए गए आयात के लिए डंपिंग मार्जिन नकारात्मक है। तदनुसार प्राधिकारी ने ताइवान से आयातों के संबंध में जांच की शुरुआत करना उचित नहीं पाया है। तदनुसार वर्तमान पाटनरोधी जांच के लिए संबद्ध देश कोरिया गणराज्य, थाइलैंड और चीन जन.गण. हैं।

ञ. जांच की अवधि

20. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 (12 माह) की है। क्षति विश्लेषण अवधि में जांच अवधि और तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष

2019-20, 2020-21, 2021-22 और जांच की अवधि शामिल है। इसके अलावा, चूंकि आवेदक केवल जांच की अवधि के दौरान परिचालन में था, इसलिए आवेदक के तिमाही प्रदर्शन का भी विश्लेषण किया जा सकता है।

ट. प्रक्रिया

21. नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत यथाप्रदत्त सिद्धांतों का वर्तमान जांच के लिए पालन किया जाएगा ।

ठ. सूचना प्रस्तुत करना

22. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों dd15-dgtr@gov.in, id13-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, और adg13-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फॉर्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फॉर्मेट में खोजे जाने योग्य हो।
23. संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकारों, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उत्पादक को नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।
24. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी ऊपर उल्लिखित ईमेल पतों में निर्धारित समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से जांच से संगत अपने अनुरोध कर सकता है ।
25. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
26. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए वे प्राधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट अर्थात <http://www.dgtr.gov.in/> को नियमित रूप से देखते रहें ।

ड. समय सीमा

27. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना प्राधिकारी को पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार इस नोटिस के प्राप्त की तारीख से तीस दिन (30 दिन) के भीतर प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए ई-मेल पतों adg13-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, jd13-dgtr@gov.in और dd15-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। तथापि यह नोट किया जाए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाले नोटिस को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने या निर्यातक देशों के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
28. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान जांच में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली/अनुरोधों का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।

ढ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

29. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उक्त का पालन नहीं करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है।
30. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
31. "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोधों पर प्रत्येक पृष्ठ पर स्पष्ट रूप से गोपनीय या अगोपनीय अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।


32. अगोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है। अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है। अन्य इच्छुक पक्ष दस्तावेज़ का गैर-गोपनीय संस्करण प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर दावा की गई गोपनीयता पर अपनी टिप्पणियाँ दे सकते हैं।
33. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप से अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
34. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
35. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ण. सार्वजनिक फाईल का निरीक्षण

36. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वैबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे ई-मेल के माध्यम से सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों/उत्तर/सूचना का अगोपनीय अंश भेज दें । अनुरोधों/उत्तर/सूचना के अगोपनीय अंश को परिचालित नहीं करने पर किसी हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी माना जा सकता है ।

त. असहयोग

37. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है या उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।


(अनन्त स्वरूप)
निर्दिष्ट प्राधिकारी